राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(38)नियम / डीएलबी / 19 / 30991 जयपुर,दिनांकः 01/08/2019

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में दिनांक 31.12.2019 तक निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 31.12.2019 तक जमा कराने पर
01.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय / व्यावसायिक भूखण्ड / भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत–प्रतिशत छूट होगी।
02.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2019–20 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत–प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पूर्व (अर्थात वर्ष 2011–12 से पूर्व) का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(38)नियम / डीएलबी / 19 / 30992-31551 दिनांकः 01/08/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
06. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान।
07. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
08. समस्त अधिकारी, निदेशालय एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय),समस्त राजस्थान।
09. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी